

प्रेषक

निरीक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, सख्तानु।

सेवा मे

✓ जनानांशार्थ/प्रबन्धक
झानसी देवी पाइयेट औदौर्ध्विक प्रशिक्षण संस्थान
गालिगढ़,
गालिगढ़।

पत्रांक

124/टी-3/राम/भारतसंस्कृति

लखनऊ : दिनांक

17-11-2013

दिवेष— स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निरी ३०० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन उदास किये जाने के बारे मे बहा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डीजी०५०८० नई दिल्ली मे गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध मे।

महोदय

उपरोक्त दिवेष के लम्बका मे आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19-३-2012 पर दिनांक 24-०८-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली मे राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की दैतक सम्बन्ध हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उच्च निरीक्षण रिपोर्ट के बारे मे जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्दरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है—

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संस्थान का अनुरोध किया गया।	संस्कृति की गयी		अनुकूल
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी०५०८० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Fitter	02(1+1)	02(1+1)	02(1+1) SCIR-19/3/12 SIR-27-07-12 W.e.f. Aug 2012

DGET-6/24/67/2012 -TC DATED 24/08/2012

प्रयोग किये गये संकेत—

(1) एन०सी०आई०आर०—स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट

(2) एस०आई०आर०—पूरक निरीक्षण रिपोर्ट

(3) डी०आई०आर०—विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट

(4) झूली०—विवारणी

(5) एन०आर०—संस्कृति नहीं किया गया।

(6) एन०सी०—विवार नहीं किया गया।

2 आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/तुटियों का निराकरण समर्थनार्थी करके अपनी आत्मा विन्दुवार साथ सहित दो प्रतियों मे इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करे। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

दिवेष— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाधित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों मे प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षणीयों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा मे सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहुल टेट्टा ११३)

अपर निदेशक (भारत/रिक्षु)

पत्रांक : /टी-3/राम/भारतसंस्कृति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. संयुक्त निदेशक (प्राणि/रिक्षु) वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें।

तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अद्वगत कराये।

2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

3. गार्ड फाइल हेतु।

4. उप निदेशक व्यवसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल टेट्टा)
अपर निदेशक (प्राणि/रिक्षु)